झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

विज्ञापन संख्या–3790 राँची, दिनांक–21/11/25

झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं एक सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

केन्द्र सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार की स्थापना की गई है।

2. भू–संपदा क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं विनियमित करने, भू–खंड, अपार्टमेन्ट अथवा भवन, भू–संपदा प्रोजेक्ट की बिक्री पारदर्शी तरीके से करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं की अभिरूचि/हितों को अनुरक्षित करने का लक्ष्य है।

3. उपरोक्त क्रम में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	अहर्त्ताएँ
1	अध्यक्ष	1	A person having adequate knowledge and professional experience of at-least twenty years in urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, technical experts from relevant fields, planning, law, commerce, accountancy, industry, management, social service, public affairs or administration. Provide that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a Chairperson unless such person has held the post of Additional Chief Secretary or Chief Secretary to the State Government or any equivalent post in the Central Government.
2	सदस्य	1	A person having adequate knowledge and professional experience of at-least fifteen years in urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, technical experts from relevant fields, planning, law, commerce, accountancy, industry, management, social service, public affairs or administration. Provided further that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a member unless such person has held the post of Secretary or Principal Secretary to the State Government or any equivalent post in the State Government or Central Government.

4. अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले हो, के लिए होगी तथा पुनर्नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

5. प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन एवं भत्ते :–

5.1 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन एवं भत्ते निम्नवत् प्रकार से देय होंगे–

5.1.1 अध्यक्ष एवं सदस्य का मासिक समेकित वेतन राज्य सरकार के क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव के समतुल्य होगा।

5.2 महंगाई भत्ते एवं शहर प्रतिपूरक भत्ते–

प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते वही मान्य होंगे जो अनुमान्य दर पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव के लिए देय होंगे।

5.2.1 अध्यक्ष एवं सदस्य अपनी नियुक्ति के समय यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हों तो उन्हें वेतन, उनके पेंशन की कुल राशि (रूपान्तरित भाग सहित) घटाकर भुगतान किया जायेगा।

5.3 छुट्टी/चिकित्सा सुविधाएँ/आवास/यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते एवं अन्य अनुमान्य भत्ते झारखंड भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2017 के अनुसार देय होंगे।

6. अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के अनुरूप होंगी।

7. झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु सूचनाएं समर्पित करने के लिए विहित प्रपत्र :

नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान	वर्त्तमान वेतन	प्राप्त पेंशन की राशि	संस्थान, जहाँ पूर्व में कार्यरत रहे हैं	अनुभव
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी अथवा निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तथा कोई वित्तीय अथवा अन्य रूचि नहीं है जो प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के कुशल संचालन हेतु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्त्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थानः–........................

दिनांक–........................

हस्ताक्षर

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट–www.jharera.jharkhand.gov.in पर देखी जा सकती है।

21.11.25

(ज्योत्सना सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3790

राँची, दिनांक– 21/11/25

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में तथा देश के महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद) में प्रकाशित होने वाले Time of India/The Hindustan Times अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21.11.25

सरकार के अपर सचिव।